निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 94 / 16 दावा
दायरा दिनांक :– 09.06. 2016
निर्णय दिनांक :– 27.04. 2017

उनवान

1. जमनालाल पुत्र भारत
2. केदारलाल पुत्र भारत जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र भारत जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद
2. कमलाबाई पत्नि बृजमोहन जाति कलाल निवासी सतूर तहसील हिण्डोली हाल निवासी छीपाबड़ौद
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राज.

वाद अन्तर्गत धारा 53 183 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 27.04.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,183 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 150 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा, मौजा छीपाबड़ौद मे स्थित है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 165 सम्वत् 2069 ता 72 से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के शामलाती खातेदारी मे दर्ज जमाबदी एव कब्जे काश्त मे चली आ रही है, उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी का 2/3 हिस्सा है, दर्ज जमाबन्दी था। प्रतिवादी कम 1 ने अपने हिस्से 1/3 की आराजी का बेचान प्रतिवादी कम दो को कर दिया है इसलिये प्रतिवादी कम दो के नाम इन्तकाल संख्या 2178 से दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी कम 1 के मन मे बदयान्ति आ गई है प्रतिवादी कम 1 ने वादीण छोटे भाई होने का नाजायज लाभ उठाकर वादीण के हिस्से की आराजी पर आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व जबरन बल पूर्वक कब्जा कर दिया तथा प्रतिवादी कम 1 हम वादीगण के हिस्से की आराजी पर अतिकमी है तथा अवैध रूप से फसल बोकर आर्थिक लाभ कमा रहा है। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 काबिल बेदखली है। हम वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से कई बार उक्त वर्णित आराजी मे से वादीगण के हिस्से की आराजी पर कब्जा छोड़ने को कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 हरबार वादीगण से लड़ाई झगड़ा करता है, तथा कब्जा छोड़ने से इन्कार हो गया, तथा धमकी दी है, कि आयन्दा कब्जा छोड़ने की बात कही तो जान से मार दूंगा। हम वादीगण उक्त आराजी का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। हम वादीगण उक्त विवादित आराजी को अब प्रतिवादी क्रम 2 के साथ संयुक्त मे नही करना चाहते है। इसलिए हम वादीगण अपने हिस्से 2/3 का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी का खाता विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

प्रतिवादी संख्या–1 हम वादीगण के हिस्से की आराजी पर अतिक्रमी है

Scanned by CamScanner

करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 06.05.2016 को प्रतिवादी क्रम 1 से वादी के हिस्से की आराजी पर से कब्जा छोड कर वादी को कब्जा समलाने की कहने पर तथा उसके द्वारा मना करने पर तथा उसी दिन प्रतिवादी क्रम 2 से खाता विभाजन करने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा खाता विभाजन कराने से इन्कार करने पर बमुकाम कस्बा छीपाबड़ौद मे उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 06.04.2017 को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम छीपाबड़ौद सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 165 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 जमनालाल, पी.डब्ल्यू 2 केदारलाल, पी.डब्ल्यू 3 ओम प्रकाश के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादीगण एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम छीपाबड़ौद मे स्थित है, जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 जगन्नाथ द्वारा अपने हिस्से 1/3 की आराजी प्रतिवादी क्रम 2 कमला बाई पत्नि बृजमोहन जाति कलाल को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दी थी, जिसका इन्तकाल नंबर 2178 से दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 की उक्त विवादित आराजी मे कोई हक व हिस्सा नही रहा है। विवादित आराजी शामलात खातेदारी के होने से प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदयान्ति आ गई। वह वादीगण के खाते की आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया। प्रतिवादी जगन्नाथ वादीगण बडा भाई होने के नाते सम्पूर्ण भूमि को वही काश्त करते थे। जगन्नाथ द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया तथा वादीगण की भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराकर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। वादी का वाद स्वीकार किया जावें। विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें एवं लगान निर्धारण किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम छीपाबड़ौद सम्वत् 2069–72, खाता संख्या 165 के अनुसार खसरा नंबर 150 रकबा 5.04 बीघा, जगन्नाथ, जमनालाल, केदारलाल पुत्र चतरा कोम काछी शामलाती खातेदारी में दर्ज थी। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में इन्ताकल नंबर 2178 दिनांक 20.11.2012 से खातेदार जगन्नाथ आत्मज चतरा ने अपना हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्टर्ड बेचान करने क्रेता श्रीमति कमला पत्नि बृजमोहन कोम कलाल निवासी सतूर तहसील हिण्डोली हाल निव छीपाबड़ौद के खाते दर्ज करने का नोट अंकित है। इससे यह साबित होता है, कि प्रतिवादी क्रम जगन्नाथ द्वारा अपना हिस्सा 1/3 प्रतिवादी क्रम 2 कमला बाई को बेचान कर दिया था, जिर इन्तकाल नंबर 2178 दिनांक 20.11.2012 को खोला जाकर तस्दीक किया गया। विवादित भूमि प्रतिवादी जगन्नाथ का कोई हिस्सा नही है। वादीगण अपने हिस्से 2/3 का पृथक–पृथक ब कराकर अलग खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 2 केदारल पी.डब्ल्यू 3 ओमप्रकाश के शपथ–पत्र पेश किये गये। गवाहो द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में बतार विवादित आरजी मे वादीगण का 2/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी जगन्नाथ द्वारा अपना हिस्सा 1/3

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

बेचान कर दिया गया है। प्रतिवादी जगन्नाथ वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहता है। वादीगण अपने हिस्सा 2/3 का पृथक–पृथक विभाजन कराकर खाता अलग दर्ज कराना चाहते है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 150 रकबा 6.04 बीघा मे वादीगण का हिस्सा 2/3 अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने एवं वादीगण को कब्जे दिलाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 94/2016	धारा अन्तर्गत 53,183, RTA	निर्णय दिनांक 27.04.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी – श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी –	

वाद शीर्षक

उनवान

1. जमनालाल पुत्र चतरा
2. केदारलाल पुत्र चतरा जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र चतरा जाति काछी निवासी छीपाबडौद
2. कमलाबाई पत्नि बृजमोहन जाति कलाल निवासी सतूर तहसील हिण्डोली हाल निवासी छीपाबडौद
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 150 रकबा 5.04 बीघा मे वादीगण का हिस्सा 2/3 अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने एवं वादीगण को कब्जे दिलाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू० का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
मेरे आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.4.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner